पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्य सरकार द्वारा देवरिया के सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच कराने का निर्णय

सी0बी0आई0 के जांच हाथ में लेने तक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए तीन सदस्यीय एस0आई0टी0 का गठन किया गया

दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी

लखनऊ : 07 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद देवरिया की घटना को दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सी0बी0आई0 के जांच हाथ में लेने तक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए तीन सदस्यीय एस0आई0टी0 का गठन किया गया है। इस टीम की सहायता एस0टी0एफ0 करेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेण्टर में इस सम्बन्ध में आयोजित प्रेस–वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण श्रीमती रेणुका कुमार तथा अपर पुलिस महानिदेशक (महिला हेल्पलाइन) श्रीमती अंजू गुप्ता की एक जांच कमेटी के गठन के भी निर्देश दिए गए थे। इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित संरक्षण गृह में रहने वाली बालिकाओं को वाराणसी के संरक्षण गृह में शिफ्ट किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनपद देवरिया स्थित नारी संरक्षण गृह के प्रकरण पर गम्भीर रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को हटाने की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जून, 2017 में राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित संरक्षण गृह की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। जिला प्रशासन को इस

संरक्षण गृह को बंद करने तथा वहां पर रह रही बालिकाओं को स्थानांतरित किए जाने के भी निर्देश दिए गए थे। इस सम्बन्ध में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी को चार्जशीट जारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्तव्य पालन में शिथिलता बरतने वाले जनपद देवरिया के पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा अन्य सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गई है। इन्हें भी चार्जशीट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन द्वारा संरक्षण गृह की मान्यता समाप्त किए जाने और इसे बंद किए जाने के बावजूद इस संरक्षण गृह के कार्यरत रहने के सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका की जांच भी की जाएगी। इस जांच के लिए ए0डी0जी0 गोरखपुर को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय थाने में 30 जुलाई को एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई थी, जिस पर कार्रवाई न किए जाने पर भी जांच होगी।

————————————

PN-CM-PC -Deoria-07 August, 2018.doc